बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार
32, हार्डिंग रोड, पटना-800001
फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 05/12/2017

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-19/2012 1199...... चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन विहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाईजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, स्टेट बैंक भवन, जजेज कोर्ट रोड, पटना-1 के प्रबंधकारिणी समिति** का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अत: बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **अनुलग्नक-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाईजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, स्टेट बैंक भवन, जजेज कोर्ट रोड, पटना-1 के उनकी उपविधियों में यथावर्णित पदों के लिए** सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक 07.01.2018 (रविवार)** की तिथि नियत करता है तथा समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने **पत्र संख्या-1116 दिनांक 09.11.2017** द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि **दिनांक 31.10.2017** निर्धारित की गयी है, तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक क्रमश: **30.11.2017** को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के विन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छ: पद आरक्षित होंगे।

(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(iii) उपयुक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न मानक **प्रपत्र-ई॰ 1 (अनुलग्नक-2)** में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना **दिनांक 13.12.2017 (बुधवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त समिति के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र-ई॰ 6** में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र-ई॰ 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स **(0612-2231562, 2215089)** अथवा ई-मेल **(bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

ह॰/-

(फूल सिंह)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : .... पटना/ दिनांक ....

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह॰/-

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : .... पटना/ दिनांक ....

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), पटना/ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), पटना सदर/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), पटना सदर संलग्न निर्वाचन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं उसमें वर्णित प्रपत्रों का उपयोग करेंगे। सविरोध निर्वाचन की स्थिति में संलग्न मतपत्र का उपयोग किया जाएगा, जिसमें सदस्य निर्वाचित किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समक्ष (✓) का चिह्न लगायेंगे।

3. जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), पटना से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), पटना सदर को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : .... पटना/ दिनांक ....

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

ह०/-

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : .... पटना/ दिनांक ....

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : ...1199........... पटना/ दिनांक ..05/12/2017

प्रतिलिपि: अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाईजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि॰, स्टेट बैंक भवन, जजेज कोर्ट रोड, पटना-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/5/12/17

मुख्य चुनाव पदाधिकारी